बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना– 800001

विज्ञापन संख्या– 32/2017, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अंतर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त 18 (अठारह) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्त 18 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :–

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	गैर–आरक्षित वर्ग	08	03
2.	अनुसूचित जाति	04	01
3.	अनुसूचित जनजाति	शून्य	शून्य
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	03	01
5.	पिछड़ा वर्ग	02	शून्य
6.	पिछड़ा वर्ग की महिला	01	–
कुल		**18**	**05**

नोट :–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 13185, दिनांक– 03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ii) उक्त रिक्त अनुमान्य 18 पदों में से दृष्टि बाधित को 01 पद देय होगा।

2. **वेतनमान** :– वेतन बैण्ड–37400–67000 + ए॰जी॰पी॰– रू॰ 10000 एवं विशेष भत्ता–रू॰ 2000

3. **आवश्यक योग्यताएँ एवं अनुभव** :–

अर्हता :– इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के उपयुक्त विषय क्षेत्र में पीएच॰डी॰ अथवा समकक्ष।

(**Qualification** :- Bachelor's and Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology with First Class or equivalent either at Bachelor's or Master's level and Ph.D or equivalent in appropriate discipline in Engineering/ Technology).

अनुभव :– शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 (दस) वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष के स्तर पर होना चाहिए।

(**Experience** :- Minimum of 10 Years relevant experience in Teaching/Research/Industry out of which atleast 3 years shall be at the level of Head of the Department or equivalent).

नोटः– अनुभव प्रमाण–पत्र देने हेतु नियोक्ता/नियुक्ति पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे।

4. **उम्र सीमा** :– दिनांक 01.08.2016 को न्यूनतम उम्र 37 वर्ष। उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा का बंधेज लागू नहीं होगा।

5. **चयन का आधार** :– अकादमिक पृष्ठभूमि, अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन, कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन एवं साक्षात्कार के आधार पर। उक्त पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज (Weightage) स्कीम निम्नवत् होगा :–

Total Weightage - 100			
Academic Background (Weightage – 20)	**Evaluation of Academic Performance, Research Performance, Domain Knowledge and Teaching Skill (Weightage – 60) (Engineering, Humanities and Science)**	**Weightage**	**Interview (Weightage-20)**
a) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech in relevant Branch b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech. Engg . c) Ph.D-05	a) Research/Book Publication - (Weightage-10 Maximum)	➢ Referred Journals - 3 per Publication. ➢ Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Numbers- 2/Publication. ➢ Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author – 5/Chapter In edited books – 1/Chapter Subject Books by National/State level publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers – By sole author – 2.5/Chapter In edited books – 0.5/Chapter ➢ Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Numbers – By sole author – 1.5/Chapter In edited books – 0.25/Chapter ➢ Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) – 2/Chapter ➢ Chapters in knowledge based volumes published by Indian/ National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories – 1/Chapter	
	b) Seminar Presentation - (Weightage-20 Maximum)	➢ Seminar/Conference Proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included) International – 5/Publication National - 2.5/Publication	
	c) Sponsored Research Project /Project- (Weightage- 10 Maximum)	➢ Major projects amount mobilzed with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project – 15 Weightage ➢ Major Projects amount mobilzed with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Each Project – 10 Weightage ➢ Minor projects (amount mobilzed with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Each Project – 5 Weightage ➢ Minor policy document of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process 30 for Each Output/Patent of National level 50 for Each one of International level	
	d) Refresher Courses, Methodology, Workshop, Training, Teaching, Learning Evaluation technology, Soft skill, Development programme faculty development programme- (Weightage-20 Maximum)	(a) Of a 2 weeks duration – 4/Each (b) Of a 1 week duration – 2/Each	

6. <u>आरक्षण</u> :–

(i) आवेदन प्रपत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन प्रपत्र की कंडिका–6 में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण का आधार होगा और इस प्रयोजन के लिए स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग जाति एव अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र०सं०	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) निःशक्तता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निःशक्तता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक् में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 13185, दिनांक– 03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(ix) आवेदन प्रपत्र में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

7. <u>शुल्क</u> :–

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/– (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 75/– (पचहत्तर) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे, दूसरी प्रति बैंक में जमा करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. <u>अन्यः</u>

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

9. <u>अंतिम तिथिः</u>

(i) **पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह शुक्रवार, दिनांक– 21 जुलाई, 2017 की संध्या 5.00 बजे तक विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब या किसी अन्य कारण से किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

<u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश</u>

10. <u>प्रविष्टिः</u>

(i) विज्ञापन के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी०) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही होना चाहिए। <u>इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।</u>**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन उक्त विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–

(i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय – | स्नि | न | ग | धा |

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा– **ANIL KUMAR RAM** को बाक्स में इस तरह लिखेंगें एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :– | A | N | I | L | | K | U | M | A | R | | R | A | M |

(iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं आरक्षित वर्ग से नहीं हैं तो 2 भरें।

(iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।

उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) स्तम्भ (कॉलम) 14 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 15 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

11. **फोटोग्राफः**

आवेदन–पत्र के पृ॰–1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न सार्टें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है, उसकी कम–से–कम तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आयोग द्वारा माँगें जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

12. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है एवं उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया है।**

13. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

14. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

15. **लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–**

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें।

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);
(ii) स्नातक डिग्री प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र;
(iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र;
(iv) पीएच॰डी॰ प्रमाण–पत्र;
(v) कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत विहित अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र;
(vi) कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष स्तर का वेतनमान एवं ए॰जी॰पी॰ सम्बन्धी प्रमाण–पत्र;
(vii) विज्ञापन में निर्धारित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक Referred एवं Non-referred जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं, जो अंक निर्धारण के लिए मान्य होंगे;
(viii) विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोजित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/Conference में प्रस्तुत पेपर्स आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं। उम्मीदवार द्वारा उपर्युक्त पेपर प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण पत्र सेमिनार/Conference आयोजित करने वाले संस्थान के चेयरमेन/संयोजक से प्राप्त कर संलग्न करना होगा;
(ix) उम्मीदवार द्वारा यदि किसी तरह का research project/project तैयार किया गया हो तथा refresher course, methodology, workshop, training आदि में भाग लिया गया हो, तो उसका प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा;

नोट :– उपर्युक्त कंडिका–(vii), (viii), एवं (ix) के संबंध में एक अलग Annexure-A (Evaluation of Academic Performance, Research Performance, Domain Knowledge and Teaching Skill) वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर ENGLISH में CAPITAL LETTERS में भरकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;
(xi) वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके ग्रेड को AICTE द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु प्रदत फार्मूला के आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा;
(xii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र; भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र;
(xiii) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे;
(xiv) आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(ii) 16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित एक लिफाफा (अनुक्रमांक निर्गत करने हेतु), जिसपर 40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(iii) इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) जिसपर विज्ञापन सं॰ एवं पद का नाम अंकित है, को लिफाफे पर चिपकाते हुए प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) पर अपना पूरा पता अंकित करें।

16. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट** http://bpsc.bih.nic.in **पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से विस्तृत सूचनाओं का प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

17. **उपर्युक्त विज्ञापनों के संबंध में विस्तृत निदेश आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाईट** www.bpsc.bih.nic.in **पर उपलब्ध है। विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र से भिन्न, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

18. **आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

16/6/17

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।